

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY
(GENERAL ADMINISTRATION-II)
genadmin@ignou.ac.in
phone-011-29571418

F.No. IG/Admn/GA/Hort.Cell/2023/6989
Dated: 16th May, 2023

GENERAL NOTICE

It is for general information to of all Govt. Departments/Civic Agencies and General that Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in original application OA No.82 of 2013 vide order dated 23.04.2013 directed that:

1. All the sign boards, names, advertisements, any kind of boards or electric wires and high tension cables or other damaging elements are removed from the trees forthwith.
2. The concrete surrounding the tree within one meter of the trees are removed forthwith and due precaution taken in future so that no concrete or construction or repairing work is done at least within one meter radius of the trunk of trees.

It is again brought to the notice to all Govt. Departments/Civic Agencies and General Public concretization of trees not only damages the tree. It is also an offence under Section 8 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994. In addition it will also amount to contempt of court being violation of Hon'ble N GT orders.

All govt. Department and Civic Agencies may please ensure removal of all the sign boards. Names, advertisements any kind of boards or electric wires and hi-tension insulated cable etc. placed on trees.

The trees concretized should be de-concretized manually without of JCB machines etc. so that the roots are not damaged. During fresh construction of roads/pavements, the Govt. Department may add a fresh clause in their tender documents that 6'X6' are around the trees shall be left de-concretized soil filed.

This issues with the approval of competent authority.

Dy. Registrar (GA)

डॉ. एस. पी. राउत / Dr. S. P. Rout
उप कुलसचिव / Deputy Registrar
सामान्य प्रशासन / General Administration
इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068
IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi-110068

Copy to:

1. AR to VCO – for information
2. PS to PVCs – for information
3. PS to Registrar (Admn)-for information
4. CPO, CMD- for information
5. Chairman, Horticulture Cell
6. All notice boards
7. Circular File
8. All RCs

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

(सामान्य प्रशासन- I)

genadmin@ignou.ac.in

फोन - 011-29571418

फा.सं. आईजी/प्रशा./जीए/उद्यान प्रकोष्ठ/2023/6989
दिनांक : 16 मई, 2023

सामान्य सूचना

सभी सरकारी विभागों/सिविल एजेंसियों और आम जनता की जानकारी के लिए है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अपने मूल आवेदन 2013 की ओए संख्या 82 के दिनांक 23.4.2013 को जारी आदेश में निदेशित किया था कि-

1. पेड़ों पर लगे सभी साइन बोर्ड, नाम, विज्ञापन संबंधी या अन्य किसी भी प्रकार के बोर्ड या बिजली के तार या अन्य हाईटेंशन केबल या अन्य हानिकारक तत्वों को पेड़ों से हटा दिया जाए।
2. पेड़ों से एक मीटर के दायरे में पेड़ के आसपास की कंक्रीट को हटाया जाए और भविष्य में भी ऐसी सावधानियाँ बरती जाएं ताकि पेड़ के तने के कम से कम 1 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कंक्रीट/मरम्मत का काम ना हो।

यह पुनः सभी सरकारी विभागों/सिविल एजेंसियों एवं सामान्य जन के ध्यान में लाया जाता है कि पेड़ों के कंक्रीटीकरण से न केवल पेड़ को नुकसान होता है बल्कि यह दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 8 के अंतर्गत एक अपराध भी है और साथ ही, माननीय एनजीटी आदेशों का उल्लंघन, अदालत की अवमानना के समतुल्य है।

सभी सरकारी विभाग और सिविल एजेंसियाँ, कृपया पेड़ों पर लगाए गए सभी साइन बोर्ड, नाम, विज्ञापन संबंधी या अन्य किसी भी तरह के बोर्ड या बिजली के तार एवं हाईटेंशन इंसूलेटेड केबल आदि को पेड़ों से हटाना सुनिश्चित करें।

पेड़ों के आसपास के निर्माण को जेसीबी मशीनों आदि के इस्तेमाल के बिना मैनुअल विधि से ही हटाया जाए ताकि पेड़ों की जड़ें नष्ट न हों। सड़कों आदि के नवीन निर्माण के दौरान सरकारी विभागों को अपने टेंडर दस्तावेज में एक नया खंड भी जोड़ना चाहिए कि पेड़ों के आसपास के लगभग 6x6 के भाग में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न किया गया हो, बल्कि यह भाग केवल मृदा से ही भरा हो।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि:

1. सहा.कुलसचिव, कुलपति कार्यालय - सूचनार्थ
2. सभी सम-कुलपतियों के निजी सचिव - सूचनार्थ
3. कुलसचिव(प्रशासन) के निजी सचिव- सूचनार्थ
4. सी.पी.ओ., सीएमडी - सूचनार्थ
5. अध्यक्ष, उद्यानिकी प्रकोष्ठ
6. सभी सूचना बोर्ड
7. परिपत्र फाइल

श्रीमान श्री राउत

उप-कुलसचिव(सा.प्र.)

डॉ. एस. पी. राउत / Dr. S. P. Rout
उप कुलसचिव / Deputy Registrar
सामान्य प्रशासन / General Administration
इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110058
IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi-110068